प्रेस विज्ञप्ति

22-01-2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), अहमदाबाद ने बिटकनेक्टकॉइन और अन्य के क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 19(1) के तहत सूरत और मुंबई निवासी क्रमशः 33 वर्षीय निकुंज प्रवीणभाई भट्ट और 49 वर्षीय संजय कोटडिया को 19.01.2026 को गिरफ्तार किया है।

सूरत पुलिस स्टेशन के अपराध विभाग की सीआईडी द्वारा शैलेश बाबूलाल भट्ट, सतीश कुरजीभाई कुंभानी और अन्य के खिलाफ दर्ज की गई 2 एफआईआर के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की। एक एफआईआर के अनुसार, सतीश कुरजीभाई कुंभानी और अन्य आरोपियों ने जनता को बिटकॉइन में निवेश करने के लिए प्रेरित करके अपराध की धनराशि अर्जित की, जो सतीश कुरजीभाई कुंभानी के स्वामित्व में थी और सतीश कुरजीभाई कुंभानी और उनके सहयोगियों द्वारा नियंत्रित थी। इसके अलावा, आरोपियों ने अपराध की धनराशि का दुरुपयोग बिटकॉइन और अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए किया।

ईडी की जांच में पता चला कि नवंबर 2016 से जनवरी 2018 की अवधि के दौरान, आरोपियों ने बिटकनेक्ट के कथित "ऋण कार्यक्रम" में निवेश के रूप में क्रिप्टोकरेंसी की धोखाधड़ीपूर्ण और अपंजीकृत पेशकश और बिक्री की, जिसमें भारत में स्थित निवेशकों सहित दुनिया भर के निवेशक शामिल थे। बिटकनेक्ट के संस्थापक, जो एक गैर-पंजीकृत संगठन है, ने प्रमोटरों का एक वैश्विक नेटवर्क स्थापित किया और उन्हें उनके प्रचार प्रयासों के लिए कमीशन देकर पुरस्कृत किया।

निवेशकों को नकद और बिटकॉइन के रूप में धनराशि जमा करने के लिए प्रेरित करने हेतु, कथित ऋण कार्यक्रम में, बिटकनेक्ट ने अन्य बातों के अलावा, यह दावा किया कि बिटकनेक्ट एक कथित मालिकाना हक वाला "वोलाटिलिटि सॉफ्टवेयर ट्रेडिंग बॉट" ("ट्रेडिंग बॉट") डिप्लॉय करेगा, जो उनके दावे के अनुसार, निवेशकों की धनराशि का उपयोग करके प्रति माह 40% तक का रिटर्न उत्पन्न करेगा। वृद्धि की झूठी छवि बनाने के लिए, उन्होंने बिटकनेक्ट वेबसाइट पर काल्पनिक रिटर्न पोस्ट किए जो औसतन 1% प्रति दिन या वार्षिक आधार पर लगभग 3,700% थे। ये दावे झूठे थे, क्योंकि आरोपियों को पता था कि बिटकनेक्ट ने निवेशकों के धन का उपयोग अपने कथित ट्रेडिंग बॉट के साथ ट्रेडिंग के लिए नहीं किया, बल्कि उन्होंने निवेशकों के धन को अपने और अपने सहयोगियों के लाभ के लिए उन डिजिटल वॉलेट पतों पर स्थानांतरित करके निकाल लिया, जिन पर उनका नियंत्रण था।

दूसरी एफआईआर के अनुसार, बिटकॉइन में अपने कथित निवेश की वसूली के लिए शैलेश बाबूलाल भट्ट और उसके साथियों ने सतीश कुर्जीभाई कुंभानी के दो सहयोगियों, पीयूष सावलिया और धवल मावानी का अपहरण कर लिया और धवल मावानी को अपनी कैद से रिहा करने के बदले में उनसे 2254 बिटकॉइन, 11000 लाइटकॉइन और 14.5 करोड़ रुपये नकद वसूल किए।

पीएमएलए के तहत की गई जांच के दौरान, 09.01.2026 को 5 स्थानों पर तलाशी ली गई, जिसके परिणामस्वरूप डिजिटल उपकरण, आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए और शेयरों और म्यूचुअल फंडों में निवेश, क्रिप्टोकरेंसी और 19 करोड़ रुपये की कुल नकद राशि के रूप में संपत्तियों को फ्रीज कर दिया गया।

जांच में पता चला है कि निकुंज प्रवीणभाई भट्ट, शैलेश बाबूलाल भट्ट के अपहरण और बिटकॉइन एवं नकदी की जबरन वसूली के अपराध में उसके सहयोगियों में से एक था। जबरन वसूली किए गए बिटकॉइन में से, निकुंज भट्ट को एक क्रिप्टो एक्सचेंज में रखे गए दो अलग-अलग खातों में कम से कम 266 बिटकॉइन प्राप्त हुए। निकुंज भट्ट को प्राप्त 266 बिटकॉइन में से 10.9 बिटकॉइन ईडी द्वारा कुर्क कर लिए गए हैं। जांच में यह भी पता चला कि निकुंज भट्ट ने जानबूझकर कम से कम 246 बिटकॉइन को तीसरे पक्ष के क्रिप्टो खातों के माध्यम से संभाला, अपने पास रखा और उनका लेन-देन किया ताकि धनराशि के वास्तविक स्वामित्व, नियंत्रण और स्रोत को छिपाया जा सके, और उक्त 246 बिटकॉइन को एथेरियम और यूएसडीटी में परिवर्तित किया, और फिर उक्त एथेरियम और यूएसडीटी को संजय कोटड़िया सहित कई व्यक्तियों से जुड़े विभिन्न वॉलेट में स्थानांतरित कर दिया। जांच के अनुसार, निकुंज भट्ट ने कथित तौर पर क्रिप्टोकरेंसी में ट्रेडिंग के लिए संजय कोटडिया से जुड़े विभिन्न वॉलेट में कम से कम 23 लाख यूएसडीटी (लगभग 20.70 करोड़ रुपये) ट्रांसफर किए थे। इसके अलावा, जबरन वसूली गई क्रिप्टोकरेंसी में से कम से कम 4.5 लाख यूएसडीटी (लगभग 4.05 करोड़ रुपये) संजय कोटडिया को शैलेश भट्ट से क्रिप्टोकरेंसी में ट्रेडिंग के लिए प्राप्त हुए थे। जांच के दौरान, ईडी ने पीएमएलए के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया और डिजिटल उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जब्त किए। जब्त की गई सामग्री के फोरेंसिक विश्लेषण से क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन डेटा और एक्सचेंज से संबंधित रिकॉर्ड मिले, जो गिरफ्तार किए गए दोनों व्यक्तियों के बीच लेनदेन संबंधी संबंधों को दर्शाते हैं।

पीएमएलए के तहत जांच के दौरान, संजय कनुभाई कोटडिया और निकुंज भट्ट ने शैलेश बाबूलाल भट्ट से प्राप्त उक्त क्रिप्टोकरेंसी की प्राप्ति, उपयोग और वर्तमान स्थिति के संबंध में कपटपूर्ण और अधूरे खुलासे किए थे। कई बार अवसर मिलने के बावजूद, संजय कोटडिया और निकुंज प्रवीणभाई भट्ट ने जांच में सहयोग नहीं किया और पीएमएलए की धारा 50(3) के तहत झूठे, अधूरे और टालमटोल वाले बयान देकर जांच की दिशा को भटकाने और उसमें बाधा डालने का प्रयास किया।

उनके असहयोग, साक्ष्य नष्ट होने के जोखिम और भाग जाने के खतरे को देखते हुए, निकुंज भट्ट और संजय कोटडिया को गिरफ्तार कर 20.01.2026 को माननीय पीएमएलए विशेष न्यायालय, अहमदाबाद के समक्ष हाजिर किया गया।

आगे माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय ने 4 दिन की ईडी हिरासत प्रदान की है।

इस मामले में, ईडी ने पहले ही शैलेश बाबूलाल भट्ट नामक एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अब तक लगभग 2170 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त/फ्रीज कर दी है।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।